

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 1

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

₹ करोड़

		वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
	कुल	203249.75	40.58	203290.33	227186.13	95.64	227281.77	239040.58	118.63	239159.21	235044.56	87.87	235132.43
	वसूलियां	-94934.30	-0.26	-94934.56	-104753.00	...	-104753.00	-107964.00	...	-107964.00	-107842.27	...	-107842.27
	प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	108315.45	40.32	108355.77	122433.13	95.64	122528.77	131076.58	118.63	131195.21	127202.29	87.87	127290.16
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01 सचिवालय		160.67	11.18	171.85	248.41	14.30	262.71	227.73	15.75	243.48	263.49	14.73	278.22
1.02 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय		773.30	29.40	802.70	455.92	81.34	537.26	511.89	102.88	614.77	443.81	73.14	516.95
जोड़- सचिवालय		933.97	40.58	974.55	704.33	95.64	799.97	739.62	118.63	858.25	707.30	87.87	795.17
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)		-0.10	-0.26	-0.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय		933.87	40.32	974.19	704.33	95.64	799.97	739.62	118.63	858.25	707.30	87.87	795.17
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं													
3. फसल बीमा योजना													
3.01 कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि में अंतरण		12994.84	...	12994.84	14600.00	...	14600.00	15864.00	...	15864.00	12242.27	...	12242.27
3.02 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना		12948.50	...	12948.50	14600.00	...	14600.00	15864.00	...	15864.00	12242.27	...	12242.27
3.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि		-12994.84	...	-12994.84	-14600.00	...	-14600.00	-15864.00	...	-15864.00	-12242.27	...	-12242.27
निवल		12948.50	...	12948.50	14600.00	...	14600.00	15864.00	...	15864.00	12242.27	...	12242.27
4. संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)													
4.01 कृषि अवसंरचना और विकास कोष को अंतरण		14251.93	...	14251.93	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
4.02 संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)		14251.93	...	14251.93	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
4.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि		-14251.93	...	-14251.93	-22600.00	...	-22600.00	-22600.00	...	-22600.00	-22600.00	...	-22600.00
निवल		14251.93	...	14251.93	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00	22600.00	...	22600.00
5. बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)		...	...	...	...	...	...	75.13	...	75.13	...	...	...
6. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा)		2200.00	...	2200.00	6437.50	...	6437.50	6437.50	...	6437.50	6941.36	...	6941.36

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को दाल का वितरण	446.30	...	446.30	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	...	...	...
8. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान)												
8.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	60000.00	...	60000.00	60000.00	...	60000.00	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00
8.02 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	61440.74	...	61440.74	60000.00	...	60000.00	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00
8.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-60000.00	...	-60000.00	-60000.00	...	-60000.00	-63500.00	...	-63500.00	-63500.00	...	-63500.00
निवल	61440.74	...	61440.74	60000.00	...	60000.00	63500.00	...	63500.00	63500.00	...	63500.00
9. प्रधानमंत्री किसान मन - धन योजना	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00
10. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	428.86	...	428.86	581.67	...	581.67	584.19	...	584.19	584.00	...	584.00
11. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)	475.23	...	475.23	600.00	...	600.00	750.00	...	750.00	900.00	...	900.00
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	22.50	...	22.50	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
13. कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता	...	...	...	62.50	...	62.50	62.50	...	62.50	71.50	...	71.50
14. नमो ड्रोन दीदी	...	...	...	500.00	...	500.00	250.00	...	250.00	676.85	...	676.85
15. कपास प्रौद्योगिकी मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
16. दालों हेतु मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
17. सब्जियों और फलों के लिए मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
18. हाइब्रिड बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
19. मखाना बोर्ड हेतु सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
20. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	4500.00	...	4500.00	...	...	...	6000.00	...	6000.00	...	...	...
21. आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि												
21.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1000.00	...	-1000.00
22. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-1507.60	...	-1507.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	95306.46	...	95306.46	105856.67	...	105856.67	116598.32	...	116598.32	108910.98	...	108910.98
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
23. पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण	36.68	...	36.68	50.00	...	50.00	55.85	...	55.85	40.00	...	40.00
स्वायत्त निकाय												
24. राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान	20.26	...	20.26	22.00	...	22.00	21.50	...	21.50	22.00	...	22.00
25. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
26. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00	17.00	...	17.00	5.00	...	5.00
27. नारियल विकास बोर्ड	39.13	...	39.13	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
28. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	18.00	...	18.00	20.99	...	20.99	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	88.39	...	88.39	89.49	...	89.49	102.50	...	102.50	91.00	...	91.00
अन्य												
29. कृषि गणना	40.62	...	40.62	50.00	...	50.00	43.25	...	43.25	40.00	...	40.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	216.56	...	216.56	230.00	...	230.00	246.93	...	246.93	200.00	...	200.00
31. आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00	21.75	...	21.75	25.00	...	25.00
32. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	55.45	...	55.45	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00	62.00	...	62.00
33. राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़-अन्य	342.63	...	342.63	367.00	...	367.00	373.93	...	373.93	337.00	...	337.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	467.70	...	467.70	506.49	...	506.49	532.28	...	532.28	468.00	...	468.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
34. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना												
34.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	5759.92	...	5759.92	7553.00	...	7553.00	6000.00	...	6000.00	8500.00	...	8500.00
34.02 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5760.94	...	5760.94	7553.00	...	7553.00	6000.00	...	6000.00	8500.00	...	8500.00
34.03 घटाएं - कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि	-5827.37	...	-5827.37	-7553.00	...	-7553.00	-6000.00	...	-6000.00	-8500.00	...	-8500.00
निवल	5693.49	...	5693.49	7553.00	...	7553.00	6000.00	...	6000.00	8500.00	...	8500.00
35. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन	30.19	...	30.19	365.64	...	365.64	100.00	...	100.00	616.01	...	616.01
36. कृषोन्नति योजना	5736.20	...	5736.20	7447.00	...	7447.00	7106.36	...	7106.36	8000.00	...	8000.00
37. कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण	500.00	...	500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38. वास्तविक वसूली	-352.46	...	-352.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	11607.42	...	11607.42	15365.64	...	15365.64	13206.36	...	13206.36	17116.01	...	17116.01
कुल जोड़	108315.45	40.32	108355.77	122433.13	95.64	122528.77	131076.58	118.63	131195.21	127202.29	87.87	127290.16
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि कार्य	82135.70	...	82135.70	75775.58	...	75775.58	85070.98	...	85070.98	76941.08	...	76941.08
2. मृदा और जल संरक्षण	32.92	...	32.92	35.75	...	35.75	35.75	...	35.75	38.25	...	38.25
3. कृषि वित्तीय संस्थान	15249.71	...	15249.71	20700.00	...	20700.00	19755.00	...	19755.00	21313.68	...	21313.68
4. अन्य कृषि कार्यक्रम	1935.21	...	1935.21	3262.71	...	3262.71	3220.86	...	3220.86	3323.66	...	3323.66
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	160.57	...	160.57	248.41	...	248.41	227.73	...	227.73	263.49	...	263.49
6. फसल कृषि कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	...	21.13	21.13	...	71.84	71.84	...	92.03	92.03	...	66.83	66.83
7. मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	...	4.51	4.51	...	4.25	4.25	...	4.25	4.25	...	1.75	1.75
8. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.50	3.50	...	5.25	5.25	...	6.60	6.60	...	4.56	4.56
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.18	11.18	...	14.30	14.30	...	15.75	15.75	...	14.73	14.73
जोड़-आर्थिक सेवाएं	99514.11	40.32	99554.43	100022.45	95.64	100118.09	108310.32	118.63	108428.95	101880.16	87.87	101968.03

(₹ करोड़)												
	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	12122.24	...	12122.24	13675.20	...	13675.20	13394.46	...	13394.46
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8708.90	...	8708.90	10132.99	...	10132.99	8894.46	...	8894.46	11804.24	...	11804.24
12. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	92.44	...	92.44	155.45	...	155.45	196.60	...	196.60	123.43	...	123.43
जोड़-अन्य	8801.34	...	8801.34	22410.68	...	22410.68	22766.26	...	22766.26	25322.13	...	25322.13
कुल जोड़	108315.45	40.32	108355.77	122433.13	95.64	122528.77	131076.58	118.63	131195.21	127202.29	87.87	127290.16

नोट: ब.अ. 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन रु 128290.16 करोड़ रुपये (127290.16 करोड़ रुपये और प्लस 1000 करोड़ रुपये) है। ब.अ. 2025-26 में अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये पीएमएफवीवाई और आरकेवीवाई योजना के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) से शेष राशि से पूरा किए जाने हैं।

1. **सचिवालय:** बजट प्रावधानों में मंत्रालयों विभागों और इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय शामिल हैं।

3. **फसल बीमा योजना:** प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करना है ताकि किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके। यह स्कीम मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

4. **संशोधित व्याज सहायता योजना (एमआईएसएस):** एमआईएसएस फसल कृषि कार्य करने वाले किसानों और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे अन्य संबद्ध गतिविधियों को करने के लिए रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करता है। यह एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की व्याज दर पर रु.3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% सहायता भी दी जाती है जिससे व्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

5. **बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस):** बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) उन कृषि एवं बागवानी संबंधी वस्तुओं की खरीद के लिए कार्यान्वित की जा रही है जो नाशवान प्रकृति की हैं और जिनके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है। हस्तक्षेप का उद्देश्य फसल प्राप्ति की व्यस्ततम अवधि के दौरान जब मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन लागत से नीचे गिर जाते हैं, भरपूर फसल होने की स्थिति में इन वस्तुओं के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करना है।

6. **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा):** प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) एक ऐसी योजना है जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीओपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटक हैं। इसका उद्देश्य मूल रूप से किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। इसे न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करने

के लिए लागू किया जा रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए भी लागू किया जा रहा है।

7. **कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों को ढाल का वितरण:** मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत खरीदे गए चने के वितरण की योजना राज्यों/संघ राज्यों-क्षेत्रों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन (एमडीएम), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आदि के तहत उपयोग के लिए रियायती दर पर अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पीएसएस के तहत खरीदे गए चने का विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उपयोग के माध्यम से निपटान करना था।

8. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम - किसान):** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य अपवर्जन के अध्यधीन भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पद्धति से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में तीन समान चार मासिक किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

9. **प्रधानमंत्री किसान मन - धन योजना:** प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) का उद्देश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक अंशदायी योजना है, जो अपवर्जन मानदण्डों के अध्यधीन, पेंशन निधि में मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करके योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं।

10. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन:** 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन वर्ष 2020 में व्यापकता का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत में कमी और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा सके। उक्त योजना के तहत, एफपीओ को 03 वर्षों की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, एफपीओ को संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थान से एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्यों को 2,000 रुपये तक की इकटिटी अनुदान राशि प्रदान की जा रही है, जिसकी सीमा 15.00 लाख रुपये एफपीओ है और प्रति एफपीओ परियोजना ऋण पर 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा भी दी जा रही है।

11. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना को 8.7.2020 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन दिया गया था ताकि फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश करने हेतु मध्यम-दीर्घावधि ऋण का वित्तपोषण व्याज छूट एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा सके। इस योजना के तहत, प्राथमिक कृषि ऋण

सोसायटियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुदेशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केन्द्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजना के लिए ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत अधिकतम 2 करोड़ रूपए तक सभी ऋणों पर प्रति वर्ष 3% की व्याज छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए सुक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा (सीजीटीएमएसई) से पात्र उधारकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी बीमा उपलब्ध होगा। इस बीमा के शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

12. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम):** राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, महिलाओं पर विशेष ध्यान, संवर्धन और उत्पादन के लिए इनपुट समर्थन, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी) की स्थापना अन्य बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण/ऑनलाइन पंजीकरण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, बाजार समर्थन, आदि और 3 मिनी मिशन (एमएम) के तहत अनुसंधान एवं विकास पर जोर देकर देश में "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

13. **कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला संबंधी कृषि और ग्रामीण उद्यम हेतु स्टार्टअप को वित्तपोषित करने हेतु मिश्रित पूंजीगत सहायता:** इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करना है। इन स्टार्टअप्स की गतिविधियों में अन्य बातों के अलावा, फार्म स्तर पर किराये के आधार पर किसानों के लिए मशीनरी और एफपीओ के लिए आईटी-आधारित समर्थन सहित प्रौद्योगिकी शामिल होगी।

14. **नमो ड्रोन दीदी:** इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-2026 की अवधि के दौरान कृषि प्रयोजनों लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

15. **कपास प्रौद्योगिकी मिशन:** कपास प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य देश में कपास उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करना है। मिशन के लक्ष्यों में उत्पादकता, गुणवत्ता, विपणन, प्रसंस्करण और किसान की आय में वृद्धि करना शामिल है।

16. **दालों हेतु मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी दालों के लिए दालों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना है। खरीद के अलावा वेयरहाउसिंग समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

17. **सब्जियों और फलों के लिए मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।

18. **हाइब्रिड बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोध आदि के साथ संकरों का लक्षित विकास और प्रसार करना है।

19. **मखाना बोर्ड हेतु सहायता:** मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए विहार में स्थापित किया जाना है।

20. **कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अतिरिक्त अंतरण:** इस योजना का उद्देश्य पीएम-किसान योजना (2000 करोड़ रुपये), पीएमएफबीवाई (2000 करोड़ रुपये) और एमआईएसएस (2000 करोड़ रुपये) के कार्यात्मक शीर्षों से कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) को 6000 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण करना है।

21. **आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली अतिरिक्त राशि:** बजट अनुमान वर्ष 2025-26 में मांग के लिए कुल निवल आवंटन 128290.16 करोड़ रुपये (127290.16 करोड़ रुपये और प्लस 1000 करोड़ रुपये) हैं। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 1000 हजार करोड़ रुपये पीएमएफबीवाई और आरकेबीवाई योजना के लिए कृषि अवसंरचना और विकास निधि (एआईडीएफ) निधि के शेष व्यय को पूरा करने हेतु है।

23. **पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण:** यह एक सांविधिक निकाय है जिसे विश्व व्यापार संगठन से हुए करार के तहत दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजन से वर्ष 2001 में बने एक विधान के तहत गठित किया गया। इसमें पादप प्रजातियों, किसानों और पौध रोपणकर्ताओं (ब्रीडर्स) के अधिकारों के संरक्षण और पादपों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रणाली कायम करने का प्रावधान किया है।

24. **राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान:** यह संस्थान विविध और बदलती हुई कृषि-जलवायुगत परिस्थितियों में पर्यावरण संधारणीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन परिपाटियों को बढ़ावा देने, जैव-सुरक्षा एवं क्षिप्राक्रमण (इनकर्सन) प्रबंधन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को नीतिगत सहायता देने के लिए कार्यरत है।

25. **राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज):** यह संस्थान कृषिगत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, और प्रशासकों द्वारा प्रबंधन तकनीकी कौशल के अधिप्रापण को सुविधाजनक बनाता है ताकि वे संधारणीय कृषिगत और मात्स्यिकी परिपाटियों पर किसानों और मछुआरों को सर्वोत्तम कारगर सहायता और सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

26. **चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान:** यह एक स्वायत्त निकाय है और कृषि विपणन क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता लाने और सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में निर्णय लेने वालों को परामर्श और नीतिगत समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

27. **नारियल विकास बोर्ड:** नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ देश में नारियल की खेती और उद्योग के एकीकृत विकास के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

28. **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस बोर्ड का उद्देश्य एकीकृत हार्ड-टेक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/केंद्र विकसित करना, कटाई के बाद और कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने इत्यादि को बढ़ावा देना है।

29. **कृषि गणना:** कृषि गणना कृषि सांख्यिकी के संग्रहण की एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा है। यह देश में कृषि की संरचना के बारे में मात्रात्मक जानकारी के संग्रह और व्युत्पत्ति के लिए एक बड़े पैमाने पर सांख्यिकीय परिचालन है।

30. **कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी:** इस योजना का समग्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का एक डेटाबेस एकत्र करना, संकलित करना और बनाए रखना, कृषि क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण करना और नीतिगत सुझाव देना है।

31. **आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र:** आईआरआरआई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र एक क्षेत्रीय सुविधा है जो भारत और अन्य दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों के संस्थानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान सहयोग, प्रशिक्षण और सेवा की व्यवस्था में सहायता करता है।

32. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक राशि ,खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी) को आवंटित की जाती है।

33. **राष्ट्रीय कृषक कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन सोसाइटी (एनएफडब्ल्यूपीआईएस):** राष्ट्रीय किसान कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी (एनएफडब्ल्यूपीआई) एक स्वायत्त सोसायटी है और पीएम-किसान योजना के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई के रूप में स्थापित की गई है।

34. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) मूल रूप से कृषि-उद्यमिता, नवाचारों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने सहित पूर्व और पश्चात उपज के अवसंरचना पर प्रमुख ध्यान देने के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।

35. **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन:** राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को स्थिरता, जलवायु प्रतिरोधकता सुरक्षित भोजन की दिशा में कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बदलाव के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन और प्रसार में प्राकृतिक खेती के लिए संस्थागत क्षमता बनाना, अभ्यास करने वाले किसानों को प्रचार रणनीति में भागीदार बनाना, किसानों को प्रशिक्षण और निरंतर सहायता सुनिश्चित करना और इस तरह प्रणाली की योग्यता के आधार पर स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को आकर्षित करना है

36. **कृषोन्नति योजना:** कृषोन्नति योजना को लागू करने का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना है ताकि उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इस आवंटन में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए प्रावधान शामिल है।